बाल श्रम पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अपूर्वा रजावत, शोधार्थी, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हॉयर ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिर्वसिटी, उदयपुर राज0

डॉ पुष्पा मेहदू, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हॉयर ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिर्वसिटी, उदयपुर राज0

संक्षिप्त :- बाल श्रम वैश्विक स्तर पर एक समस्या है। जो आर्थिक असमानता के साथ - साथ मानवाधिकार, सामाजिक न्याय को भी खतरा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ बाल श्रम को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के विरुद्ध मानती हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय ने कई दिशानिर्देश दिये हैं इनका उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना है और सामाजिक सुरक्षित का वातावरण देना है। कोविड महामारी ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम की स्थिति को और भी भयावह बना दिया। जिससे शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर संकट बढ़ा है। यह शोध पत्र बाल श्रम के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, विधिक संरचना, क्षेत्रीय विविधताओं और वैश्विक चुनौतियों का अध्ययन करता है। शोध यह भी बताता है कि बाल श्रम की समाप्ति केवल कानूनों से संभव नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार, शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार से ही समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

मुख्य बिन्दुः बाल श्रम, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, मानवाधिकार, वैश्विक नीति, खतरनाक कार्य, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक असमानता, विकास नीति, बाल अधिकार, वैश्विक चुनौतियाँ।

परिचय :- बाल श्रम दुनिया की समस्या की जड गरीबी, असमानता और सामाजिक संरचनाओं तक फैली हैं। यह केवल आर्थिक पक्ष नहीं, बल्कि मानवाधिकार और मानव गरिमा के विरूद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कार्य करने के लिए मजबूर बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान बहुपक्षीय सहयोग और व्यापक रणनीतियों है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में बाल श्रम की समाप्ति की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक विकास और समान अवसरों की स्थापना अनिवार्य है।

बाल श्रम की वैश्विक स्थिति :- आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो रहा हैं। इनमें से अधिकांश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थितियाँ इनको बाल श्रम की ओर ले जाती हैं। कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और भयावह बना दिया। महामारी के दौरान लाखों परिवार पर आर्थिक संकट आया, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा छोड़कर काम में लगना पड़ा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का दृष्टिकोण :- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'अभिसमय 138' के माध्यम से बच्चों के लिए न्यूनतम आयु का मानक निर्धारित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि बच्चे एक निश्चित आयु से पहले किसी भी आर्थिक गतिविधि में शामिल न हों। यह संधि मानव निर्माण और शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देती है। वहीं 'अभिसमय 182' बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों की पहचान करता है और उन्हें तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इन संधियों को सभी देशों ने स्वीकार किया है और इससे बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक सहमति विकसित हुई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सभी देशों को तकनीकी सहायता, श्रम निरीक्षण की मजबूत और नीति सुधारों में सहयोग प्रदान करता है, ताकि बाल श्रम के उन्मूलन किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय :- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों का सबसे प्रभावी दस्तावेज है। यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षण के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। अभिसमय का अनुच्छेद 32 राज्यों को बाध्य करता है कि वे सभी आर्थिक शोषण को रोकें और बच्चों के विकास को नुकसान पहुँचाने से बचाये। यह बाल श्रम को एक मानवाधिकार के विरूद्ध घोषित करता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय की भूमिकाः- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय बाल श्रम को समाप्त करने के साथ-साथ कमजोर परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय शिक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ स्कूल ड्रॉपआउट को रोकने, बच्चों की सुरक्षा को मजबुत बनाने और नीतिगत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह संस्था नीति-निर्माण में सहयोग देती है और बाल श्रम उन्मूलन को राष्ट्रीय विकास योजनाओं का हिस्सा बनाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, नकद सहायता योजन और सामुदायिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाल श्रम में गिरावट लाने में सहयोग दिया है।

अफ्रीका :- कृषि और खनन क्षेत्रों में बाल श्रम सबसे अधिक है। गरीबी, संघर्ष और शिक्षा की कमजोर स्थिति ने इस समयस्या को बल दिया है। अफ्रीकी महाद्वीप के कई राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 182 को लागू किया है, परन्तु चुनौतियाँ अब भी हैं।

एशिया :- एशिया में बाल श्रम की समस्या ओर भी भयावह है। घरेलू काम, निर्माण, वस्त्र उद्योग, ईंट भट्टों और कृषि में बच्चों का ज्यादा उपयोग होता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में कड़े कानून हैं, लेकिन इनका व्यावहारिक प्रवर्तन नहीं हो पाया हैं।

लैटिन अमेरिका :- इस देश ने बाल श्रम को कम करने सफलता प्राप्त की है। ब्राज़ील और चिली ने भी शिक्षा कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण योजना और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा और मानक :- अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए व्यापक कानूनी कदम आवश्यक हैं। जिसके तहत :-

1 न्यूनतम आयु निर्धारित करना,

2 घातक कार्यों की पहचान करना,

3 श्रम निरीक्षण करना और

4 आपूर्ति श्रृंखला की जांच करना महत्वपूर्ण हैं।

कंपनियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे यह निश्चित करें कि उनकी उत्पादन प्रक्रियाओं में बाल श्रम का उपयोग न हो। मानव तस्करी और जबरन श्रम ेे पर कठोर दंड का प्रावधान हो।

निष्कर्ष :- बाल श्रम आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार आयामों से एक घातक समस्या है। इसके उन्मूलन के लिए केवल कानूनी उपाय के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता है। बाल श्रम का उन्मूलन एक नैतिक दायित्व है। यह वैश्विक विकास की प्रक्रिया का अंग हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय समन्वित प्रयास जारी रखता है और देशों की आंतरिक नीतियों में संरचनात्मक सुधार होता हैं, तो बाल दुनिया से मुक्ति की कल्पना को साकार कर सकती है।

References

1. International Labour Organization. (1973). *Minimum Age Convention (No. 138).* ILO.
2. International Labour Organization. (1999). *Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182).* ILO.
3. UNICEF. (2020). *Child labour: Global estimates 2020 and trends.* UNICEF & ILO.
4. United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child.* United Nations Treaty Series.
5. United Nations Children's Fund. (2019). *Protecting children from child labour: The role of social protection.* UNICEF.
6. ILO. (2021). *Child labour: Global report and emerging trends.* International Labour Office.
7. United Nations. (2022). *Global report on human development and child protection.* UN Publications.
8. Edmonds, E. (2008). *Child labour.* Journal of Economic Perspectives, 22(3), 199–220.
9. Kaushik, A. (2018). *Child labour in Asia: Patterns and solutions.* Asian Journal of Human Rights, 14(2), 112–124.
10. Bourdillon, M. (2014). *Childhood poverty and labour.* Journal of International Development, 26(5), 567–579.